

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267218
CG-DL-E-28102025-267218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4714]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 4714]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4858(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राजस्थान राज्य में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेलवे परियोजना
(1)	(2)
उपखण्ड अधिकारी, तहसील किशनगढ़-रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।	पश्चिमी समर्पित माल गलियारा।

[फा. सं. 2025/एलएमएल-II/12/1/ डब्ल्यू सी /2507]

भरतेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2025

S.O. 4858(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the central Government hereby authorises the officer mentioned in column(1) of the Table below as competent authority to perform the functions of such authority, under the said Act in respect of the special Railway project mentioned in Column(2) of the Table below in the state of Rajasthan with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Competent Authority (1)	Special Railway Project (2)
Sub-divisional officer, Tehsil Kishangarh-Renwal, District Jaipur, Rajasthan.	Western Dedicated Freight Corridor.

[F. No. 2025/LML-II/12/1/WC/2507]

B. K. JAIN, Executive Director (L&A)